न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 1650 / 2003 / उदयपुर

1– श्री कालुलाल पुत्र श्री गिरधारीलाल नाई
2– श्रीमती भागूबाई पुत्री श्री गिरधारीलाल नाई
3– श्रीमती बदामी बाई पुत्री श्री गिरधारीलाल नाई
समस्त निवासी चावण्ड हाल नाका बाजार, सिंघरवाडा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री माधूसिंह राजपूत
2– श्री वासुदेव पुत्र श्री गिरधारीलाल नाई
3– श्री पुष्कर पुत्र श्री गिरधारीलाल नाई
4– श्री लालूराम पुत्र श्री गिरधारीलाल नाई
समस्त निवासी सिंघरवाडा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री उत्तम प्रकाश आमेठा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 03 जुलाई, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–22/02 शीर्षक कालूलाल आदि बनाम मनोहर सिंह आदि को खारिज किया है।

अपील डिक्री / टी.ए. / 1650 / 2003 / चित्तौडगढ
कालूराम सिंह बनाम मनोहर सिंह आदि

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने एक दावा संख्या–110/94 अन्तर्गत धारा–88–188–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक मनोहर सिंह बनाम गिरधारीलाल, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दावा के पैरा संख्या–1 में वर्णित भूमि का वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–एक 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 का बडा भाई शम्भू सिंह था। जिन्होंने अपना 1/2 हिस्सा का विक्रय दिनांक 16–11–1960 को प्रतिवादी संख्या–1 / वर्तमान अपीलान्टस के पिता को कर दिया। इस प्रकार पैरा संख्या–1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार वादी तथा 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या–1 गिरधारीलाल है। वादी ने अपने 1/2 हिस्से का विक्रय कभी भी प्रतिवादी संख्या–1 को नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या–1 ने वादी / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के 1/2 हिस्से का इन्तकाल नम्बर–3 अपने नाम से स्वीकृत करवा Record of Right में दर्ज करवा लिया है। इसलिये दावा स्वीकार कर वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने दिनांक 24–7–1995 को प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही यह करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–1998 के द्वारा दावा डिक्री कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, सलुम्बर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–1998 से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या–1 / वर्तमान अपीलान्टस द्वारा प्रथम अपील संख्या–22/02 शीर्षक कालूलाल आदि बनाम मनोहर सिह आदि, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–12–2002 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी / वर्तमान अपीलान्टस द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि विद्वान उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–1998 एकपक्षीय तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित की गयी है। यह महत्वपूर्ण बिन्दू विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष भी अर्जित किया गया था। परन्तु विद्वान अपील अधिकारी ने सरसरी तौर पर ही अपील को

खारिज कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने **A.I.R. 2005 Page-626 (S.C.), R.R.T. 2007(1) Page-73, R.B.J. 2008 Page- 526** न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या–1 गिरधारीलाल की मृत्यु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष हो चुकी थी, परन्तु मृतक गिरधारीलाल के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया। इस बिन्दू पर भी दोनों अधीनस्थ परीक्षण न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से तलबी होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या–1 गिरधारीलाल अनुपस्थित रहा। इसके विरूद्ध दिनांक 24–7–1995 को एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गिरधारीलाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात आदेश–22 नियम–4(4) सी.पी.सी. के तहत मृतक गिरधारीलाल के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर नहीं लिया गया। एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करवाने हेतु सर्वप्रथम आदेश–9 नियम–13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। अपील के माध्यम से एकपक्षीय निर्णय को निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है। द्वितीय अपील के माध्यम से समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– सर्वप्रथम इस अपील का मुख्य विवाद बिन्दू यह है कि क्या अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 गिरधारीलाल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी, वह उचित है अथवा नहीं तथा मृतक गिरधारीलाल के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित नहीं करना उचित है अथवा नहीं। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की फर्दअहकाम दिनांक 28–2–1995 से दिनांक 17–2–1995 के नोटिस जारी किये गये।

अपील डिक्री / टी.ए. / 1650 / 2003 / चित्तौडगढ
कालूराम सिंह बनाम मनोहर सिंह आदि

दिनांक 28–2–1995 की फर्दअहकाम पर सार्वजनिक अवकाश का अंकन किया गया व दिनांक 10–4–1995 तारीख निश्चित की गयी। दिनांक 10–4–1005 को नोटिस तामील नहीं हुये व पुनः नोटिस पेश करने हेतु तारीख 23–5–1995 तय की गयी। दिनांक 23–5–1995 को पुनः नोटिस पेश करने हेतु निर्देश दिये गये व आगामी तारीख 24–7–1995 तय की गयी। दिनांक 28–2–1995 को गिरधारीलाल का नोटिस उसके पुत्र राजकुमार द्वारा प्राप्त करना बताया जाकर गिरधारीलाल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गयी। जबकि गिरधारीलाल का कोई बेटा नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विधिक उत्तराधिकारियों की सूची में राजकुमार नाम का कोई लडका नहीं है। गिरधारीलाल की मृत्यु दिनांक 10–12–1995 को हो गयी, परन्तु गिरधारीलाल के विधिक उत्तराधिकारियों को आदेश–22 नियम–4 सी.पी.सी. के तहत प्रतिस्थापित नही किया गया। इस प्रकार से अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री जो पारित की गयी है वह न्यायोचित नही है। क्योंकि गिरधारीलाल को विधिवत नोटिस तामील नही हुआ है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा मृतक गिरधारीलाल के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित नहीं करना भी विधि के प्रावधान की अवहेलना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दूओं को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जहां तक विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट का तर्क है कि एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करवाने हेतु सर्वप्रथम आदेश–9 नियम–13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र किया जाना चाहिये था, यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है। **A.I.R. 2005 Page-626 (S.C.)** में यह निर्णित कर दिया है कि एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करवाने हेतु अपील भी प्रस्तुत की जा सकती है।

A.I.R. 2005 Page-626 (S.C.)

(A) Civil P. C. (5 of 1908) O. 9, R. 13, O. 43, R. 1, Ss. 96(2), 11 - Ex parte defendant can file appeal or can file application under O. 9, R. 13 to set aside ex parte decree - Once application under O. 9, R. 13 is dismissed - He cannot by filing first appeal dispute correctness of order posting suit for ex parte hearing or show cause for his non-appearance.

अपील डिक्री / टी.ए. / 1650 / 2003 / चित्तौडगढ
कालूराम सिंह बनाम मनोहर सिंह आदि

8– उपरोक्त निष्कर्षानुसार यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16–4–1998 एवं विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–12–2002 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या–1 मृतक गिरधारीलाल के विधिक उत्तराधिकारियों को दावा में पक्षकार बनाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर दावा को गुण–अवगुण पर निर्णित करें। उभयपक्ष दिनांक 6–8–2017 को न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सलुम्बर के समक्ष उपस्थित होंवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य